उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में स्ववित्तपोषित संस्थानों की भूमिका एवं आवश्यकता

रवि शंकर सिंह*

विकास के लिए शिक्षा सबसे बड़ा संसाधन है यही विकास की मूलधुरी है। समाज के निर्माण में शिक्षक की भूमिका बहुत ही अहम होती है। मानवीय मूल्यों का सोपान शिक्षा है। शिक्षा ही मनुष्य को निर्धारित लक्ष्यों तक ले जाती है और शिक्षा ही मनुष्य को उन सभी संसाधनों तक पहुँचाती है, जिसका अपने जीवन में कामना करता है। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धन, समय, एवं स्वास्थ की आवश्यकता होती है। इन्हीं तीनों कारकों में धन शिक्षा प्राप्ति का आधुनिक युग में प्रमुख कारक बन गया है। ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। शिक्षा पर व्यय होने वाले धन का एक बड़ा भाग सरकार द्वारा व्यय किया जा रहा है। बढ़ती हुई आबादी और शिक्षा के फैलते हुए आयाम को देखकर उच्च शिक्षा की तरफ से सरकारों ने अपने हाथ समेटने शुरू कर दिए है। उच्च शिक्षा पर होने वाले व्ययों के निर्वहन में सरकार ने अपनी सीमा बांध लिया और इस सीमा के फलस्वरूप शिक्षा में स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थानों का जन्म हुआ।

आज के इस वर्तमान समय में भारत आर्थिक दृष्ट्रि से तीव्र विकास की तरफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद इसके देश के अनेक भागों में क्षेत्रीय आर्थिक विसंगति आम जन लोगों का जीवन दुरूह बनाये हुऐ है, इसी बात पर विचार किया गया तो यह बात सामने निकलकर आयी की शिक्षा का स्तर बढ़ायें जाने के साथ ही रोजगारपरक शिक्षा के संख्यात्मक वृद्धि में क्षेत्रीय आर्थिक विसंगति दूर करने में विशेष मदद मिल सकती है। परिणामतः शासन स्तर एवं निजी स्तर पर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया जाने लगा जिसके परिणाम स्वरूप जहां शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई। वही निजी स्तर पर स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। क्योंकि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल 20 विश्वविद्यालय तथा 591 महाविद्यालय था जो इस समय बढ़कर 200 के पार विश्वविद्यालय तथा 18000 से ज्यादा महाविद्यालय खुल गये है। जिसमें 2 लाख से बढ़कर छात्रों की संख्या 60 लाख से भी ज्यादा हो गयी है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में 18 से 24 वर्ष के 7 प्रतिशत युवाओं को ही उच्च शिक्षा का लाभ मिल पा रहा है। जबकि दुनिया के विकसित देशों में यह प्रतिशत 30 प्रतिशत के आस पास है लेकिन देश की जनसंख्या को देखते हुए उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में स्ववित्त पोषित संस्थानों की और ज्यादा आवश्यकता दिखाई दे रही है। जिससे महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि कर सभी दूर दराज के छात्रों को शिक्षित किया जा सकें।

हमारे देश में सन् 1991 से उदारीकरण की प्रक्रिया का शुभारम्भ हुआ। इसका प्रमाण दिन–प्रतिदिन उच्च शिक्षा में भी दिखने लगा। केन्द्र सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनदुान आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के0 पुननैया की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया तथा यह समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा '' कोई भी समाज जो गरीबी और गैर बराबरी से जुझ रहा हो, विश्वविद्यालयो में हो रही फिजूल खर्ची के सब्सिडीकरण का समर्थन नही कर सकता अथवा सम्पन्न तबकों को उच्च शिक्षा पर हो रहे खर्च के भुगतान से बचे रहने की इजाजत नही दे सकता। इसलिए उच्च शिक्षा पर हो रहे वास्तविक व्यय का बड़ा हिस्सा उनसे वसूल किया जाना चाहिये।''

सन् 1988 तक उच्च शिक्षा में शिक्षण संस्थायें, सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा खोली जाती रही थी और उन्हें वित्तविहीन शिक्षण संस्थाओं के रूप में सरकार मान्यता प्रदान कर किसी न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर देती थी। कालान्तर में उन्हें गुणवत्ता एवं प्रगति के आधार पर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के रूप में मान्यता मिल जाती थी और उन संस्थानों के रूप में मान्यता मिल जाती थी और उन संस्थानों पर राज्य सरकार तथा यू0जी0सी0 मिलकर वेतन आदि का व्यय उठाते थे, परन्तु शासन के ऊपर छात्र संख्या का बढ़ता दबाव एवं शिक्षण संस्थानों की बढ़ती हुई संख्या का ऐसा प्रभाव पड़ा की शासन में अक्टूबर 1999 में एक आदेश जारी कर उ0प्र0 में चल रहे 273 वित्तविहिन महाविद्यालयों को स्ववित्तपोषित महाविद्यालयो में परिवर्तित कर दिया और उसके बाद यह निर्णय लिया कि अब किसी भी महाविद्यालय को वित्तीय सहायता नही दी जायेगी और आगे से खुलने वाले सभी महाविद्यालय स्ववित्तपोषित महाविद्यालय ही होगें।

24 अप्रैल 2000 को अम्बानी –विड़ला की रिर्पोट जो ''ए पालिसी फ्रेमवर्क फार रिफार्म्स इन एजूकेशन'' थी जिसमें बताया गया कि 2015 में देश की आबादी लगभग 125 करोड हो जायेगी। जिसके लिए उच्च शिक्षा

* **बी0एड0 (प्रवक्ता), सोनपति देवी महिला पी0जी0 कालेज, महराजगंज**

हेतु लगभग 27471 कालेज एवं विश्वविद्यालय खोलेने होगे तथा इस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के निजीकरण की खुलकर बात की गयी।

भारत में आजादी के बाद उच्च शिक्षा का विकास तेजी से होने के कारण दिन–प्रतिदिन शिक्षा के स्तर में निरन्तर गिरावट आती गयी। अनेको आयोगो के सुझावों के बाद भी इसके स्तर में विशेष उन्नयन नही हो सका। इसलिए आज की यह अवश्यक है कि ज्ञान आधारित वैश्वीकरण के उभरते दौर और विकसित देशों में कार्यबल की कमी के बीच भारत के पास अपनी युवाओं के बल पर पूरे विश्व के लिए कुशल मानव शक्ति का एक गुणवत्तापूर्ण स्त्रोत बनने में स्ववित्तपोषित महाविद्यालय छात्रों के लिए एक व्यापक अवसर है। आज उच्च निवेश के साथ–साथ उद्योगो के बीच समन्वय कायम करने की जरूरत होगी। वर्तमान समय में सरकार उच्च शिक्षा पार जी0डी0पी0 का 0.5 प्रतिशत से भी कम खर्च करता है। देश में स्थिर प्रभावी और पारदर्शी नियामक प्रणाली के साथ उच्च शिक्षा में किसी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से झलक रही है। सन् 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि– '' विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारो के विकास तथा सत्य की खोज करना है।''

सारांश –

आज के वर्तमान समय में यदि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित नही की जाए जिसे सामाजिक समस्याओं के समाधान का मार्ग कहा जाता है, तो यह स्वयं ही एक समस्या का रूप धारण कर लेती है। अतः व्यक्तियों, समाज और राष्ट्रों को एक प्रतियोगी वैश्विक संसार अर्थपूर्ण जीवन के लिए कौशल और सक्षमता हासिल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। आज के इस वर्तमान समय एवं परिर्वतनशील युग में व्यावसायिक शिक्षा एक अनिवार्यता अर्थात् आवश्यकता है।''

विकसित देशों की तुलना में उच्च शिक्षा भारतीय मिडिल–क्लास सोसाइटी में ज्यादा लोकप्रिय है। पश्चिमी देशो में युवावस्था के बाद छात्र अपने माता–पिता से अलग हो जाते है तथा स्वयं कमाना शुरू कर देते है। जबकि हमारे देश के छात्र परिवार से जुड़ा रहना पसन्द करते है। हम उन्हे बेरोजगार रहने के बजाए उच्च अध्ययन करने की सलाह देते है। परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा का छात्रों में व्यापक रूप से विस्तार हो रहा है। अपने पराम्परागत मूल्यों को बनाये रखने के लिए, स्थिति से निपटने के लिए तथा नवीनतम मूल्यों के विकास के लिए स्ववित्तपोषित संस्थाओं के अति आवश्यकता उच्च शिक्षा के योगदान में सामने आयी है।

''उ0प्र0 की उच्च शिक्षा की दुर्दशा पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गहरा दुःख जताया है। एक फैसले में कहा कि प्रदेश के कालेजों में क्षमता से अधिक छात्र भर्ती है। जबकि उन्हे पढ़ाने के लिए शिक्षकों का अभाव है। अदालत ने कहा कि यह ज्ञान बांटने वाली शिक्षण संस्थाओं के साथ क्रूर मजाक है।''

''उ0प्र0 के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रथम उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए इस बात की चिंता जताई कि दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में आज भारत का कोई विश्वविद्यालय नही है।''

''वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा को रोजगार परक व व्यवसायिक दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक विद्यार्थियों के अन्दर नैतिक मूल्यों का विकास एवं सर्वांगीण विकास करने हेतु स्ववित्तपोषित संस्थाओं द्वारा सभी ग्रामीण अंचल में बसे छात्र–छात्राओं का गुणवत्तापूर्ण विकास करने में इन संस्थाओं का सहयोग शिक्षा प्राप्त कर अपने लक्ष्य के तरफ अग्रसर करने एवं राष्ट्र के विकास में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करने की आशा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका को प्रतिस्थापित करेगें।

शिक्षा रूपी पंखुडियों शिक्षण, शिक्षार्थी संरक्षण तथा सरकार को सांमजस्य बनाने तथा अपने स्वकर्तव्यों के निर्वहन करना पडेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. प्रो0 रमन बिहारी लाल, डा0 कृष्णकान्त शर्मा– भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याऐ।
2. डॉ0 अरूण गुप्ता, डा0 निशा अग्रवाल – भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याऐ।
3. डॉ0 कर्ण सिंह – भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास
4. आर0ए0 शर्मा – भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास
5. प्रो0 बी0पी0 जौहरी, पी0डी0 पाठक – भारतीय शिक्षा का इतिहास।
6. इण्डिया टूडे पत्रिका की सर्वे रिर्पोट 2011 में प्रकाशित लेख।
7. द सण्डे इण्डियन पत्रिका 2012 में प्रकाशित लेख।
8. हाईकोर्ट लखनऊ पीठ का फैसला– हिन्दुस्तान दैनिक अखबार 02 मार्च 2013 में प्रकाशित
9. मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री अखिलेश यादव द्वारा भाषण 30 मार्च 2013 में प्रकशित।